प्रतिवेदन है, जिसके ऊपर आप विचार कर ही रहे हैं तो कम से कम आप स्पष्ट आश्वासन दीजिए कि म्युनिस्पल कारपोरेशन और मैट्रोपोलिटिन कौंसिल, इनका कार्यकाल अब नहीं बढ़ायेंगे ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैंने पहले ही कह दिया है कि म्युनिस्पल कारपोरेशन का जहां तक ताल्लुक है उसका पहले ही तीन साल का टर्म एक्सटेन्ड किया गया है। पांच साल का आठ साल हुआ है। इसी तरह मैट्रोपोलिटन कौंसिल पांच साल के लिए थी उसका सात साल हो गया तो यह मुनासिब नहीं होगा। इसका जो रिप्रजन्टेटिव कैरेक्टर था वह खत्म हुआ है। इसलिए सरकार के गौर में यह बात है कि इसके बारे में क्या किया जाय।

Statutory Development Boards for Vidarbha Marathwada and Konkan

*48. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the proposal for setting up of Statutory Development Boards for Vidarbha, Marathwada and Konkan region is likely to be cleared shortly as assured by the Prime Minister during his recent visit to Nagpur; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard and at what stage the proposal stands?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) A draft scheme for giving effect to the provisions of article 371(2) of the Constitution was received from the Government of Maharashtra in February, 1989. It comprised of a draft order to be made by the President under the said provision and a draft order to be issued by the Governor in pursuance thereof, providing *Inter-alia* for establishment of Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra. After examination, the Government of Maharashtra have been requested to consider recasting the Governor's order keeping in view the requirements of the State and legal opinion.

(b) The Government of Maharashtra made a proposal in April, 1989 for amending article 371(2)(a) so as to include a specific provision for establishment of a separate development board for Konkan also. This proposal was examined and the State Government were requested to furnish information on certain points to facilitate examination of the matter in proper perspective. The requisite information has been received. In deference to the wishes of the State Government, it was however, decided to defer consideration of this matter and expedite action in regard to the implementation of the scheme referred to above.

डा० बापू कालदाते : सभापति महोदय, इस सवाल को हम पांच साल से बार बार उठाते रहे हैं। पिछली सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया है। हम यह जरूर मानते हैं कि हमारी सरकार इस बारे में जितनी देर उन्होंने लगाई है उतनी देर नहीं लगाएगी। इतना ही नहीं बल्कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करेगी इसमें मुझे शक नहीं है। महोदय, स्वर्गीय वसंत दादा पाटिल से ले कर आज तक यह मामला चलता आया है। महाराष्ट्र विधान-मण्डल ने एक राय से यह प्रस्ताव पारित किया था कि संविधान के अनुच्छेद 371(2) के तहत विकास बोर्ड की स्थापना की जाए। फिर माननीय शंकरराव चव्हाण जी गृह मंत्रालय का कार्यभार सम्भालते थे तब भी यह नहीं हो पाया। फिर वे वहां के मुख्य मंत्री बने। उनकी राय कुछ अलग हो सकती है लेकिन बहुत

दिनों से जनता की यह मांग रही है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 371(2) के तहत स्टेट्यूटरी बोर्ड की बहुत आवश्यकता है। अब आपने जैसे कि अपने जवाब में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी, 1989 में संविधान के अनुच्छेद 371(2) के तहत आपके सामने स्कीम प्रस्तुत की लेकिन उन्होंने बढ़ा कर अप्रैल, 1989 में फिर कोंकण को इस में जोड़ कर आपके सामने स्कीम पेश की। आपके जवाब से दो सवाल पैदा होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी में जो स्कीम भेजी उसके मुताबिक आपने महाराष्ट्र सरकार से राज्य की अपेक्षाओं और कानूनी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल के आदेश को नया रूप देने का अनुरोध किया था। उसका जवाब उन्होंने दिया है या नहीं दिया है नम्बर एक। नवम्बर दो इस में कोंकण के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसके आखिर में आपने कहा तथापि, राज्य सरकार की भिन्न इच्छा के कारण यह निर्णय किया गया कि इस मामले पर अभी विचार न किया जाए और ऊपर उल्लिखित योजना के कार्यान्वयन के कार्य को तेज किया जाए। इसका मतलब यह होता है क्या कोंकण को नहीं सोचें सिर्फ मराठवाडा, विदर्भ और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों की बात है इसी के बारे में आप सोच रहे हैं। इसका मैं आपसे जवाब चाहता हूं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : स्टेट रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन हुआ था। उसके बाद यह अमेंडमेंट हो कर के मराठवाड़ा विदर्भ के लिए एक स्टेट्यूटेरी डवलपमेंट बोर्ड बनाने का सुझाव रखा गया था। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने मरकजी सरकार को इसी साल इस के बारे में सिफारिशें भेजीं और इन दो इलाकों के इलावा उन्होंने कोंकण को भी इसमें शामिल किया जिन दो को करना था उसकी पहली प्रायर्टी थी उसमें 30-35 साल लगे। हमारा सुझाव यह था कि कोंकण को बाद में किया जा सकता है इन दो इलाकों के बारे में अपने सुझाव भेजें। इसमें पहले जो सिफारिश उन्होंने भेजी इसमें गवर्नर का भी एक रोल होता है जहां तक स्टेट्यूटेरी बाडीज का सवाल है गवर्नर से होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल हो सकता है। शायद वहां की सरकार इस बात को नहीं चाहती थी लेकिन that is a statutory provision.

हमने उनको क्लेरीफिकेशन के लिए वापिस भेजा है। ज्यों ही वापिस उनका जवाब आ जाएगा उस पर हमारी तरफ से तुरंत अमल होगा।

डा० बापू कालदाते : सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इसका जवाब देने में देर लगा रही है। पहले भी महाराष्ट्र सरकार ने काफी समय लगाया है। चलो फरवरी में उनका जवाब आ ही गया लेकिन हम यह चाहते हैं कि यह मामला बहुत सालों से पड़ा हुआ है, हमारी अपेक्षा यह है कि अगर महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब करना है उसके लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था आप नहीं कर सकते ताकि महाराष्ट्र सरकार आपको तुरंत जवाब दे। हमारी और आपकी जो मंशा है विकास के प्रति वह मंशा जल्दी से जल्दी पूरी हो सके इसके लिए आप कुछ और व्यवस्था कर सकते है या नहीं?

SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED: We do not think there should be such a communication gap between the Government of India and Government of Maharashtra. We can seek their clarification and whatever it is, we will do it immediately.

श्री नरेश सी० पुगलिया : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, आप भी इस मसले से परिचित हैं जब आप महाराष्ट्र के गवर्नर थे उस समय महराष्ट्र के विधायकों ने एकमत से प्रस्ताव पारित कर के मांग की थी। और यह मांग इसलिये की थी कि महाराष्ट्र का निर्माण होने के बाद महाराष्ट्र के एक हिस्से का विकास काफी तेजी से हुआ और महाराष्ट्र का दूसरा हिस्सा विदर्भ मराठवाडा है उसके विकास की गति धीमी रही और यह जो डिवलपमेंट का इंबेलेंस क्रिएट हुआ था उसको दूर करने के लिये

संविधान में धारा 371(2) का जो प्रोविजन है उसके अन्तर्गत यह बोर्ड किया जाए, यही मांग पिछले 30-35 साल से कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि यह तजवीज उन्हें फरवरी, 1989 में प्राप्त हुआ है, सभापति महोदय, यह उत्तर बिल्कुल गलत है, यह तजवीज 1985 में राज्य सरकार ने यूनैनिमसली भेजा था और उसके बाद केन्द्र सरकार ने उसको कई बार क्वेरीज निकाली हैं और क्वेरीज निकाल कर केन्द्र सरकार बार-बार उसको राज्य सरकार को वापस भेजती है। इस बार उन्होंने जो बहाना ढूंढा है कि इस डिवैलपमेंट बोर्ड का फायदा मराठवाड़ा और विदर्भ के साथ-साथ महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से में जो कोंकण है, कोंकण को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, जो मांग है इस मांग का विचार आप बाद में कर सकते हैं लेकिन जो मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए जो आर्टिकल 371(2) में जो डिवैलपमेंट बोर्ड की मांग है सरकार उसे कब तक पूर्ण करेगी इसका निश्चित आश्वासन क्या मंत्री महोदय देंगे ?

SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED: Sir, this is a measure to do away with the imbalances. As I have already said, whatever the recommendation of the State Government, the Central Government will consider that.

MR. CHAIRMAN: You will expedite it.

SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED: Yes, Sir...(*Interruptions*)...

श्री नरेश सी० पुगलिया : सभापति महोदय... (**व्यवधान**) बार-बार इस चीज को दोहरा कर भेज देते हैं।

श्री सभापति : : कह दिया कि जल्दी करेंगे ।...(**व्यवधान**)

श्री नरेश सी. पुगलिया : टाइम की बात कर रहे हैं।... (**व्यवधान**)

डा० बापूकालदाते : 5 साल तो स्कीम भेजने में लग गए ।... (**व्यवधान**)

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : सभापति महोदय, मेरा ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1956 में संविधान में यह परिवर्तन किया कि 371 को [illegible] 1989 तक इसके बाद इसमें कोई संशोधन हुआ 34 साल तक जब संविधान में उसका यह प्रावधान है तो फिर कोंसपोंडेंस करने की बात कहां से आती है? उसके बाद में महाराष्ट्र विधान सभा ने यूनैनिमसली यह प्रस्ताव पास करके भेजा, इस सदन में उस पर चर्चा हुई, मैंने खुद बिल लाया था और स्टेट होम मिनिस्टर ने कहा था, सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया कि यह स्टेटरी बोर्ड नियुक्त किया जाए। अब मैं जानना चाहता हूं कि कब से या टाइम बाउंड प्रोग्राम [illegible] कब तक इसका समय होगा, ऐसे टाइम बाउंड प्रोग्राम हमें दे दीजिए और कब तक स्टैटयरी बोर्ड नियुक्त हो जायेगा, क्या संविधान में यह लिखा है कि

"The Governor should be the Chairman of the Board."

इसके तहत होने वाला है या उसमें कोई परिवर्तन होने वाला है, इसका जवाब मैं चाहता हूं ?

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैंने पहले कह दिया कि जो [illegible] राज्य सरकार की हमें सिफारिश होगी उसमें हमने कुछ क्लैरिफिकेशन उनसे मांगी है। हम इस पर तुरन्त अमल करके चीफ मिनिस्टर को बुलाकर उनसे पूछ लेंगे कि क्या उनके मंशा है और उस पर जल्दी से जल्दी अमल करने की कोशिश करेंगे।... (**व्यवधान**)

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: We want the date ...(*Interruption*)...What is time bound? What is the limit?...(*Interruptions*)...Sir, it should not take another 34 years.

SHRI A.G. KULKARNI: Sir, I can understand what the honourable Minister has stated, and he has rightly pointed out that he will speak to the Chief Minister and settle at least with regard to Marathwada and Vidarbha. About Konkan, as you said, it may take a long time.

but please say definitely that you will call him within this week or the next week and do it. Please say that...(*Interruptions*)...Let him say that...(*Interruptions*)

SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED: Sir, I assure the honourable Member that as soon as possible we will be calling the Chief Minister of Maharashtra, discuss with him and settle this...(*Interruptions*)

SHRI JAGESH DESAI: Sir, it is already agreed on Marathwada and Vidarbha. Konkan can be settled afterwards. So, there is no necessity for calling the Chief Minister again...(*Interruptions*)..He has already agreed in respect of these two areas. So, without calling him also youcan do it. I would like to know whether he will do it immediately or not...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Maharashtra-Karnataka border dispute

*43. SHRI D.B. CHANDER GOWDA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the border dispute between Karnataka and Maharashtra has been resolved;

(b) if so, to what extent;

(c) whether Government propose to implement the recommendations of the Mahajan Commission Report fully; and

(d) if so, by when?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED): (a) to (d) The recommendations of the Mahajan Commission did not evoke the necessary measure of acceptability and the differences between the two State Governments concerned in the matter have been persisting. The Government of India have been of the view that this dispute can be resolved only with the willing cooperation of the State Government and towards this end the Central Government will be glad to extend all possible assistance to them.

Second Inter-State Bus Terminus in South Delhi

*45. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Delhi Administration has prepared an elaborate plan to set up a second Inter-State Bus Terminus in South Delhi;

(b) if so, what are the details thereof; and the expenditure likely to be incurred thereon; and

(c) whether any decision has been taken to implement the Plan?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT AND THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI K.P. UNNIKRISHNAN): (a) to (c) Delhi Administration has intimated that they have a proposal under consideration to set up second Inter-State Bus Terminus. An area of 32.27 acres has been obtained by the Delhi Administration from the DDA at Sarai Kalan, Nizamudeen. Further details are being worked out by the Delhi Administration.

Extremists and terrorists in custody in various States

*49. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state: